न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 06/2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला–बारां **(प्रार्थी)**

बनाम

1. रतनलाल पुत्र चम्पालाल कौम धाकड़ निवासी सम्बलपुर
2. गजानन्द (मृतक) पुत्र चम्पालाल कौम धाकड़ निवासी सम्बलपुर

2/1 नेमीचन्द पुत्र
2/2 रघुनन्दन पुत्र
2/3 गिरजेश पुत्र
2/4 लीलाबाई पुत्री
2/5 किशोरबाई बेवा गजानन्द अकवाम धाकड़ निवासी सम्बलपुर

(अप्रार्थीगण)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**
2. श्री धैर्य नागर अभिभाषक **(अप्रार्थीगण)**

आदेश दिनांक– 23.02.2022

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते विवादित आराजी ख0नं0 1116 रकबा 0.58 है., 1117 रकबा 0.04 है. किता 2 कुल रकबा 0.62 है0 किस्म नहरी I वाके ग्राम फतेहपुर तहसील–बारां राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2064–67 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2015–24 में मूल खसरा नंबर 582 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा के नवीन खसरा नंबर 571 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई कायम किये गये तथा वर्तमान सेटलमेंट संवत 2038–2057 में भू प्रबंध विभाग द्वारा नवीन खसरा नम्बर 1116 रकबा 0.58 है. एवं खसरा नंबर 1117 रकबा 0.04 है. कायम किये जाकर उक्त भूमि गै.मु.तलाई की किस्म नहरी I दर्ज की गई तथा उपखण्ड अधिकारी, बारां के आदेश क्रमांक 1023 दिनांक 29.04.1970 की पालना में नामां. सं. 288 से किस्म गै.मु. तलाई से [illegible] तहसील आदेश दिनांक 04.02.1971 से अप्रार्थीगण के नाम नियमन की जाकर [illegible]298 से अवैधानिक रूप से अप्रार्थीगण के खाते दर्ज कर दिया। उक्त आराजी [illegible] अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। इसलिये [illegible] गया नियमन नियम विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज[illegible] उच्च न्यायालय, [illegible] में डी.बी.रिट संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों/नियमनो को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.24 12:10:43 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त आवंटन/नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगर्ण द्वारा जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश किया कि ग्राम फतेहपुर की आराजी ख.न. 571 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा गै. मु. तलाई से बंजड़ में परिवर्तन आदेश दिनांक 06.08.1970 को कर दिया गया था। उक्त इंतकाल की कोई अपील नहीं की गई और ना ही उक्त इंतकाल कभी खारिज हुआ है। उक्त भूमि खसरा नंबर 571 व 572 श्री रतनलाल गजानन्द पुत्रगण चम्पालाल धाकड़ निवासीगण सम्बलपुर के नाम नियमन मिसल नंबर 29 से आदेश दिनांक 04.02.1971 को किया गया। जिस समय नियमन किया गया उस समय उक्त भूमि तलाई की भूमि नही थी बल्कि बंजड़ भूमि के रूप में दर्ज हो चुकी थी जो नियमन योग्य है। नियमन के बाद उक्त भूमि रतनलाल, गजानन्द पिसरान चंपालाल के नाम दर्ज हुई तब से बतौर खातेदार गजानन्द अपने जीवनकाल तक तथा उसके बाद उसके वारिसान तथा रतनलाल आज तक काबिज काश्त हैं। उक्त भूमि वक्त नियमन तलाई की भूमि नहीं थी तथा वर्तमान में भी तलाई नहीं है वरन काश्त की भूमि है जो अब तलाई के उपयोग में नहीं लायी जा सकती। उक्त भूमि पर खातेदारान 45 वर्ष से अधिक समय से काबिज काश्त हैं, उनका 30 वर्ष से अधिक समय से खुला एवं स्वतंत्र कब्जा है इसलिये भी एडवर्स पजेशन के आधार पर भी उन्हे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। अप्रार्थीगण को यह भूमि नियमन की गई थी उसके विरूद्ध कोई अपील नही की गई है इसलिये अब उक्त नियमन को निरस्त नहीं किया जा सकता। रेफरेन्स अवधि मध्य भी नही है अतः निरस्तनीय है। जिन अधिकारों के तहत नियमन कमेटी द्वारा उक्त भूमि का नियमन किया गया था वह अधिकार आज तक भी कायम हैं उनको राज्य सरकार द्वारा निरस्त नही किया गया है इसलिये भी उक्त रेफरेन्स विधिवत न होने से चलने योग्य नही है। प्रार्थी का नियमन विधिवत एवं न्यायानुमत है इसलिये उसके विरूद्ध रेफरेन्स किया जाना न्यायोचित नहीं है। यदि रेफरेन्स किया गया तथा खोतदारान को भूमि से बेदखल अथवा खातेदारी से हटाया गया तो उनको भारी अपरिमित क्षति होगी। यदि खातेदारान की भूमि को राज्य सरकार किसी भी कार्य के लिये अधिगृहित करना चाहती है तो नियमानुसार मुआवजा राशि अदा करके ही भूमि का अधिगृहण किया जा सकता है जिसके तहत भी वैधानिक प्रक्रिया क किया जाना न्यायानुमत एवं आवश्यक है। उक्त नियमन आदेश को 30 वर्ष से अधिक हो चुका है इस कारण विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो के अनुसार मियाद बाहर होने से रेफरेन्स की कार्यवाही नहीं की जा सकती। [illegible] के नियमन आदेश मिसल नंबर 29 दिनांक 04 02.1971 से अप्रार्थीगण को नियम[illegible] गया है इसलिये विधि मे प्रतिपादित सिद्धान्तों व अनुसार नियमनकर्ता [illegible] सकता। अतः रेफरेन्स निरस्त योग होने से खारिज फ[illegible] का आदेश [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.24 12:10:43 IST
Reason: SelfAttested

3– उक्त जवाब प्राप्त होने पर हमने पत्रावली बहस हेतु नियत की। बहस के दौर अप्रार्थी अभिभाषक अनुपस्थित रहे। अतः हमने प्रकरण में पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बह समाअत कर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

जिला कलेक्टर बारां (राज०)
जिला कलक्टर बारां (राज०)

4— हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनी।

5— बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि ग्राम फतेहपुर की सेटलमेंट अवधि सम्वत् 2015–24 में साबिक खसरा नंबर 582 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा किस्म गै. मु. तलाई के हाल खसरा नबर 571 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा किस्म गै. मु. तलाई कायम हुए। तथा दौराने सेटलमेंट अवधि 2038–57 में साबिक खसरा नंबर 571 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा किस्म गै. मु. तलाई के हाल खसरा नम्बर 1116 रकबा 0.58 है. एवं 1117 रकबा 0.04 है. किस्म गै.मु.तलाई को उपखण्ड अधिकारी बारां द्वारा किस्म परिवर्तित कर बंजड़ दर्ज करने के आदेश दिये जाने पर नामां. संख्या 288 से उक्त आराजी की किस्म बंजड़ दर्ज हुई। उक्त भूमि की किस्म परिवर्तन होने के पश्चात तत्कालीन तहसीलदार बारां ने आदेश दिनांक 04.02.1971 द्वारा उक्त भूमि नामां. संख्या 298 से अप्रार्थीगण के खाते दर्ज की गयी। जिस वक्त भूमि की किस्म परिवर्तित की गयी उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु.तलाई थी, जो परिवर्तन तथा नियमन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट ख0नं0 1116 रकबा 0.58 है. एवं 1117 रकबा 0.04 है. बने हैं, जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है, जिसकी किस्म नहरी । दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–16 के अन्तर्गत नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त नियमन नियम विरूद्व हुआ है। ऐसे नियम विरूद्व नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी के संबंध में जितनी भी कार्यवाहियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है। डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत आवंटित आराजी को गै.मु.तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार, बारां द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा–82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

6— हमने पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया, तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि सेटलमेंट जमाबन्दी सम्वत् 2015–2024 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 571 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज है। उक्त खसरा नंबर 571 गत खसरा नंबर 582 से कायम किया गया। उक्त खसरा नंबर 571 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा का अप्रार्थीगण को नियमन किया गया है। उक्त आराजी के बाद सेटलमेंट संवत 2038–57 नये खसरा नम्बर 1116 रकबा 0.58 है. एवं खसरा नंबर 1117 रकबा 0.04 हैं बने है, जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार अप्रार्थी को जिस वक्त भूमि नियमन की गयी थी उस वक्त विवादित आराजी किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज थी, आवंटन योग्य भूमि नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आराजी का नियमन नियम विरुद्व है।

7— अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अप्रार्थी को आराजी खसरा नम्बर 582 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई का नियमन की गयी आराजी के बाद सेटलमेंट संवत 2038–57 नये खसरा नम्बर 1116 रकबा 0.58 है. एवं खसरा नंबर 1117 रकबा 0.04 हैं बने है।

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)
जिला कलक्टर बारां (राज०)
Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.24 12:10:43 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आराजी वास्तविक रूप से सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु.तलाई दर्ज थी जिसका नियमन अप्रार्थी को विधि विरूद्व हुआ है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये उक्त नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

8— परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, बारां का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम फतेहपुर में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 1116 रकबा 0.58 है. एवं खसरा नंबर 1117 रकबा 0.04 हैं किस्म नहरी I, जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 582 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई से बना है जिसका अप्रार्थीगण को गलत रूप से नियमन हुआ है, नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा—82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार बारां को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

9— तहसीलदार, बारां को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत नियमन आराजी जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंन्स होने का नोट लाल स्याहीं से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें। अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के निर्णय होने तक, वर्णित आराजी खसरा नम्बर 1116 रकबा 0.58 है. एवं खसरा नंबर 1117 रकबा 0.04 हैं किस्म नहरी I वाके ग्राम फतेहपुर तहसील—बारां की यथास्थिति बनाये रखें। इस आराजी को रहन, बेचान, हस्तान्तरण व खुर्द—बुर्द नहीं करे।

आदेश आज दिनांक 23.02.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.24 12:10:43 IST
Reason: SelfAttested